महत्वपूर्ण एवं खास

अलग-अलग क्षेत्र से दोपहिया वाहन पार

रायपुर (आरएनएस)। शहर के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से अज्ञात चोर ने दो दोपहिया वाहन पार कर दिया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी दया तिवारी 28 वर्ष लोहार चौक सरस्वती कन्या शाला के पास रहता है। प्रार्थी ने आजाद चौक थाना में शिकायत किया कि वह अपनी एक्टिवा क्रमांक सीजी 04 एचजेड 7202 को घर के बाहर खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए एक्टिवा की कीमत करीब 30 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। इसी तरह दूसरे मामले में कंकालीपारा निवासी गजेन्द्र कुमार निर्मलकर ने पुरानी बस्ती थाना में शिकायत किया कि वह अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 सीआर 1134 को घर के बाहर खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बाइक की कीमत करीब 15 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

रिक्शा में गांजा बेचते युवक गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। माना पुलिस ने ई-रिक्शा में गांजा बेचते एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 किलो 40 ग्राम गांजा जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर माना मोड़ के पास डुमरतराई में ई-रिक्शा सवार आरोपी साबिर खान 30 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से थैला में रखे 2 किलो 40 ग्राम गांजा जब्त किया है। जिसकी कीमत करीब 30 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

महिला की सड़ी-गली लाश मिली

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर थाना टिकरापारा क्षेत्र के कमल विहार सेक्टर 4 में झाड़ी में अज्ञात महिला का शव मिला है। अज्ञात महिला की उम्र है लगभग 30-35 वर्ष है। महिला का शव 03-04 दिन पूर्व का है। अज्ञात महिला का शव आग से जला हुआ है। जिसके कारण पहचान नही हो पाई है। अज्ञात महिला कान में टाप्स पहनी हुई है। महिला गले में मंगलसूत्र, पिंक कलर की चूड़ी, पिच कलर गोल्डन वर्क की साड़ी, पहनी है। अज्ञात महिला के संबंध में उनके परिजनों के संबध में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है तो थाना टिकरापारा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश रावटे के मोबाईल नम्बर 9479191037 पर सूचित करने का कष्ट करेंगे।

हत्या का सहआरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

बिलासपुर-रायपुर (आरएनएस)। प्रकरण सदर में प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11.03.2024 को मेरा लडका किशन साहू उर्फ झिल्ली अपने दोस्तों के साथ मो0सा0 से काई तालाब की ओर गया हुआ था। जहॉ पर करीबन 3 बजे दोपहर रोहित, हरसु, अम्मु यादव, विन्नु तलकई व अन्य मिलकर मेरे लडके किशन साहू उर्फ झिल्ली को पुरानी रंजिश को लेकर मॉ बहन की गाली गलौच करते हुए जान से मारने के लिए चाकु, हाकी स्टीक, डण्डा से घेरकर मारपीट किये, चाकु से सीना, पेट, पीठ, पर प्राणघातक चोट लगने से ईलाज हेतु भर्ती किये थे। हॉ उसकी मृत्यु हो गयी कि रिपोर्ट पर धारा 302,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर मामले में आरोपी अमित यादव, हर्षु बघेल, रोहित मंडावी को गिरप्तार कर लिया गया था अन्य आरोपी फरार थे आरोपियो की पतासाजी के लिए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहूल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में राजनांदगांव चैकी चिखली पुलिस की टीम गठित कर फरार सह आरोपियों की पता साजी हेतु लगातार दबिश दिया जा रहा था।

लोकसभा मतगणना प्रशिक्षण में शामिल हुए कलेक्टर साहू

❒ गणना पर्यवेक्षकों और सहायकों का दिया गया प्रशिक्षण

सारंगढ़-बिलाईगढ़

लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतगणना के लिए कलेक्टोरेट सभाकक्ष में शुक्रवार को प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिकेत साहू, नोडल अधिकारी स्वीप हरिशंकर चौहान शामिल हुए। जिले के दोनों विधानसभा सारंगढ़ और बिलाईगढ़ के गणना पर्यवेक्षकों और सहायकों को इसमें प्रशिक्षण दिया गया।

कलेक्टर साहू ने कहा कि यहां उपस्थित और अनुपस्थित सभी को मतदान सफलतापूर्वक निष्पादन करने पर बधाई। मतदान की अपेक्षा मतगणना कार्य सरल है। इस कार्य में भी सावधानी बरतनी है। सभी गणना कर्मी प्रत्याशी और उनके अभिकर्ताओं के साथ सौहार्द्रपूर्ण अच्छा व्यवहार करेंगे। डिजिटल डिवाइस कोई भी नहीं रखेंगे।

जिला मास्टर ट्रेनर चूड़ामणि गोस्वामी ने बताया कि विधानसभावार गणना पर्यवेक्षक, गणना सहायक, माइक्रो आब्जर्वर का टेबल में ड्यूटी थर्ड रेन्डमाइजेशन के आधार पर होगा। पहला रेन्डमाइजेशन 27 मई को, दूसरा 2 जून को और थर्ड रेन्डमाइजेशन 4 जून 2024 को सुबह 5 बजे रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी की उपस्थिति में किया जाएगा। सुबह 7 बजे से मतगणना परिसर में प्रवेश करना है। प्रवेश के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, कैमरा, डिजिटल घड़ी आदि प्रतिबंधित है। मतगणना कक्ष में प्रवेश के बाद बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बैठक व्यवस्था- अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ताओं के बैठने का क्रम पहले स्थान में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, दूसरा स्थान में राज्य से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का होगा। प्रत्येक टेबल में एक अभिकर्ता होंगे। जिस टेबल का अभिकर्ता नियुक्त है, वह उसी टेबल में गणना का अवलोकन करेंगे।

सावधानी और अंतिम निर्णय- ईव्हीएम के सीयू बटन चालू करने पर डिस्प्ले में कुछ भी प्रदशित नहीं हो तो मशीन बंद कर बैटरी का परिवर्तन करेंगे। इसी प्रकार मतदान की समाप्ति के बाद क्लोज बटन नहीं दबा है तो अभिकर्ता के सामने क्लोज बटन दबाएंगे। उल्लेखनीय है कि क्लोज बटन दबाए बिना रिजल्ट प्रदर्शित नहीं होगा। अथवा कोई कारणवश तकनीकी त्रुटि आता है। अथवा टोटल बटन दबाने पर भिन्न-भिन्न रिजल्ट आए तो सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) को सूचित करेंगे। इसमें अंतिम निर्णय एआरओ का होगा।

गणना प्रक्रिया- गणना पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) सर्वप्रथम ईव्हीएम मशीन के सीरियल का मिलान करेंगे। प्रत्याशी या उनके अभिकर्ता (एजेंट) के सामने मशीन के एड्रेस टैग को फाडेंगे, सावधानीपूर्वक मशीन को चालू कर तारीख, समय की जानकारी देते हुए आगे बढ़ना है। अभ्यर्थी की संख्या, वोट की संख्या, पीठासीन द्वारा दर्ज संख्या और मशीन में बताए गए रिजल्ट मतों की संख्या का मिलान करना है।

व्हीव्हीपैट मशीन के पर्चियों को 25-25 का बंडल बनाना है और अतिरिक्त पर्ची का अलग से बंडल बनाना है। जैसे- 55 पर्ची का 25-25 का दो बंडल और 5 का एक बंडल बनेगा। साथ ही अभ्यर्थी के एक ही बॉक्स में तीनों बंडल को रखा जाएगा।

शब्दों और अक्षरों में रिजल्ट का उद्घोष- गणना पर्यवेक्षक और सहायक मतों के परिणाम की घोषणा अभ्यर्थियों के क्रमवार जैसे कैंडिडेट-एक, कैंडिटेट-वन, मत की संख्या-बावन, मत की संख्या-फाइव टू, उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार अन्य सभी अभ्यर्थी एवं नोटा के मतों की गिनती भी किया जाएगा।

परिणाम के बाद कागजी कार्यवाही- फार्म-17 ग के भाग-2 में गणना पर्यवेक्षक और सहायक सभी अभ्यर्थी के सूची, उनके द्वारा प्राप्त किए मतों की संख्या को भलीभांति भरकर अपना हस्ताक्षर करेंगे।

पारदर्शिता- जिला मास्टर ट्रेनर एस.आर. अजय ने बताया कि मतगणना प्रक्रिया के दोरान रिजल्ट में ओवर राइट या किसी प्रकार के कार्य में कमी होने पर कंट्रोलिंग अधिकारी द्वारा गणना पर्यवेक्षक को बदला दिया जाएगा या दंडित किया जाएगा।

मीटर गड़बड़ी की समय पर शिकायत नही करना उपभोक्ताओं पर पड़ेगा भारी

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत वितरण में निष्पादन संबंधी मानक विनिमय-2020 में किए गए बदलाव पर अब अमल करते हुए एक्शन लेने की तैयारी कर ली है।

अब बिजली मीटर से संबंधित गड़बड़ी की शिकायत समय पर नहीं करने पर उपभोक्ताओं को जेब से भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि मीटर संबंधी शिकायत आने पर जैसे मीटर जलने पर शहरों में 24 घंटे और गांव में 72 घंटे में बदलकर नया मीटर लगवाना अनिवार्य होगा।

वहीं इसके साथ ही हर महीने मीटर की रीडिंग भी करनी होगी। वहीं इस काम में देरी होने पर पहले महीने के लिए उपभोक्ताओं को पांच सौ और उसके बाद के प्रतिमाह एक हजार रुपये टैक्स देना होगा। राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के एमडी राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि मीटर जलने संबंधित अधिकारियों को सूचना मिलने पर मीटर ड्रा करने की कार्रवाई की जाती है।

केंद्र सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत अब प्री पैड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसके बाद यह समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी।

आरडीएसएस योजना का लक्ष्य इस अंतर को कम करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बिजली से अर्जित धन इसे प्रदान करने की लागत के लगभग बराबर हो। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 तक इस अंतर को पूरी तरह खत्म करना है।

24 घंटे में उपभोक्ताओं को देना होगा सूचना

आयोग ने कहा है कि एक संवर्ग के शहर एवं नगरीय क्षेत्रों में चार घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे बिजली गुल होने की शिकायत उपभोक्ताओं को विभाग में 24 घंटे के भीतर करनी होगी। शिकायत नहीं करने की स्थिति में कंपनी की जवाबदेही नहीं होगी और प्रभावित उपभोक्ताओं पर हर दिन के लिए 500 रुपए प्रतिकर लगेगा।

इसी तरह लाइन ब्रेक डाउन, माइनर ब्रेक डाउन छह घंटे से मेजर ब्रेक डाउन 24 घंटे ए संवर्ग के शहरों एवं नगरीय क्षेत्रों में होता है तथा माइनर ब्रेकडाउन 12 घंटे या मेजर ब्रेकडाउन ग्रामीण क्षेत्र में दो दिन तक होता तो भी उपभोक्ता को हर दिन के 500 रुपए देने होंगे।

आयोग की अधिसूचना के मुताबिक मीटर संबंधी शिकायत होने के बाद वितरण लाइसेंसी त्रुटिपूर्ण, बिना कार्यरत (बंद धीमे एवं तेजी से चलने) मीटर की पहचान के लिए निरीक्षण किया जाएगा। यह निरीक्षण ए संवर्ग के शहरों क्षेत्रों में चार दिन, नगरीय क्षेत्र में सात दिन, ग्रामीण क्षेत्र में 12 दिन की समय सीमा में किया जाएगा।

खराबी का पता लगने पर वितरण लायसेंसी द्वारा मीटर को बदला जाएगा। शहरों और नगरीय क्षेत्रों में यह काम 24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे से अधिक नहीं होगा।

यदि मीटर प्रथम दृष्टया दोषपूर्ण या जला या चोरी पाया जाता है, जिसका कारण उपभोक्ता नहीं तो लाइसेंसी को आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर अपनी लागत पर नए मीटर के माध्यम से आपूर्ति बहाल करनी होगी। यदि जांच में उपभोक्ताओं की वजह से मीटर खराब हो गया है, जल गया या चोरी हो गया है तो उसका शुल्क उपभोक्ताओं से वसूल किया जाएगा।

सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई स्कार्पियो,एक की मौत,चार घायल

रामानुजगंज(आरएनएस)। अपने परिवार के साथ अपने स्कार्पियो वाहन से बनारस जा रहे व्यक्ति की सडक़ किनारे खड़ी ट्रक से स्कार्पियो के टकराने जाने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में चार अन्य लोग घायल हो गये है। मिली जानकारी के अनुसार रामानुजगंज नगर की स्टेट बैंक रोड निवासी राजेश राजेश राहगीर उम्र 55 वर्ष अपनी पत्नी, पुत्र,दामाद एवं दामाद के भाई के साथ स्कॉर्पियो से बनारस जा रहे थे इसी दौरान डाला के समीप खड़ी ट्रक से स्कॉर्पियो की टक्कर हो गई जिससे राजेश राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई वहीं स्कॉर्पियो में सभी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए राजेश की पत्नी एवं बेटे का इलाज रापटगंज में चल रहा है। अन्य घायल को बनारस रेफर किया गया। बताया जाता है कि राजेश राहगीर दो दिन पूर्व दुद्धी के समीप अपनी बेटी के यहां गए थे जहां से वह अपनी पत्नी यशोदा देवी, पुत्र सोनू राहगीर उम्र 29 वर्ष वह दामाद एवं दामाद के भाई के साथ शुक्रवार सुबह बनारस इलाज करने जा रहे थे इसी दौरान सुबह 5 बजे के करीब डाला के समीप खड़ी ट्रक से स्कॉर्पियो की जबरदस्त टक्कर हो गई। जिससे राजेश राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई वहीं पत्नी यशोदा देवी के हाथों में गंभीर चोट लगा व बेटे के सिर में चोट लगा दोनों को रापटगंज अस्पताल में भर्ती कराया गयाम वहीं दामाद को गंभीर चोट देखते हुए बनारस के लिए रेफर कर दिया गया।

15 लीटर अवैध शराब के साथ युवक को पूंजीपथरा पुलिस ने किया गिरफ्तार

❒ आरोपी पर आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर पुलिस ने भेजा रिमांड पर

रायगढ़। एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर अवैध शराब पर अंकुश लगाने सभी थानाक्षेत्रों में कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आज भोर में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गेरवानी का मुकेश उरांव अवैध बिक्री के लिए महुआ शराब लेने ग्राम उज्जलपुर की ओर निकला है। थाना प्रभारी द्वारा तत्काल थाने के एएसआई चंदन नेताम के साथ पेट्रोलिंग स्टाफ को कार्यवाही के लिए रवाना किया गया। पूंजीपथरा पुलिस द्वारा सुबह-सुबह संदेही को फटहापुल उज्जलपुर के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया। संदेही मुकेश उरांव पैदल प्लास्टिक बोरी में मादक पदार्थ लेकर आ रहा था जिसके बोरी को चेक करने पर अंदर 20 लीटर क्षमता वाले जरकिन में करीब 10 लीटर महुआ शराब एवं 5 लीटर क्षमता वाली जरकीन में 5 लीटर महुआ शराब कुल 15 लीटर महुआ शराब कीमती रु.1,500 का बरामद हुआ जिसकी विधिवत गवाहों के समक्ष जप्ती की गई है। आरोपी मुकेश उरांव पिता भागीरथी उराव उम्र 31 साल निवासी गेरवानी थाना पूंजीपथरा, जिला रायगढ़ के विरुद्ध थाना पूंजीपथरा में धारा 34(2),59(क) आबकारी के तहत कार्यवाही किया गया है। शराब रेड कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक चंदन नेताम, आरक्षक धर्मेन्द्र सिंह और अमित नट शामिल थे।

सीजी राशन कार्ड नवीनीकरण : 14 लाख से अधिक राशन कार्ड लटके, आचार संहिता खत्म होने के बाद होंगे आबंटित

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ में 14 लाख से अधिक राशन कार्डों नवीनीकरण आचार संहिता की वजह से रोक दिया गया है। इस वक्त पीडीएस के अंतर्गत हैं 77 लाख राशनकार्ड हैं। इसके साथ ही 62.69 लाख कार्डधारियों ने नवीनीकरण कराया है। वहीं अब तक 45 लाख नए राशन कार्ड बांटे गए हैं। आचार संहिता खत्म होने के बाद बचे कार्ड बांटे जाने वाले हैं।

राज्य सरकार ने छूटे हुए हितग्राहियों को मोहलत दी थी

राशन कार्ड नवीनीकरण को लेकर राज्य सरकार ने छूटे हुए हितग्राहियों को मोहलत देते हुए इसकी तारीख 15 मार्च तक बढ़ा दी थी। अब तक प्रदेश में 15 प्रतिशत और जिले के करीब 25 प्रतिशत राशनकार्ड धारकों का नवीनीकरण नहीं हो पाया था। कार्डधारकों को चिंता सताने लगी थी कि उन्हें नया कार्ड और राशन मिल पाएगा या नहीं, लेकिन अब उन्हें थोड़ी राहत मिल गई थी।

इन कारणों से नहीं हो पा रहा नवीनीकरण

राशनकार्ड नवीनीकरण कराने के लिए कार्डधारकों को ऑनलाइन पोर्टल पर दो ऑप्शन दिए गए थे। पहला, राशनकार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर और दूसरा कार्ड में चस्पा बारकोड स्कैनर। इन दोनों में से किसी भी तरीके से कार्डधारक अपने कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन कई कार्डधारकों के राशनकार्ड में चस्पा बारकोड स्कैनर पुराना हो गया है, जिसके कारण बारकोड काम नहीं कर रहा है, वहीं कई कार्डधारकों का पंजीकृत नंबर गलत बता रहा है। इन कारणों से लोग राशन दुकान से लेकर खाद्य विभाग कार्यालयों तक के भी चक्कर लगा रहे थे।

115 नग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

सरगुजा | आरएनएस

सरगुजा पुलिस ने नशीली प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है तथा उनके पास से 115 नग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद किया है।

बता दें कि सरगुजा पुलिस द्वारा जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत प्रतिबंधित मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले संदेहियो/आरोपियों पर लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम के दिनांक 23/05/24 कों थाना गांधीनगर पुलिस टीम कों जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि राजमोहनी देवी भवन अम्बिकापुर के बगल गली मे मोटरसायकल सीजी/30/बी/9001 सवार दो संदिग्ध युवक मोहित कुमार शर्मा उफर् मोहित भारद्वाज एवं माशुक खान अपने कब्जे मे भारी मात्रा मे प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन रखकर बिक्री करने हेतु ग्राहक की तलाश कर रहे हैं।

सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए राजमोहनी देवी भवन के बगल गली मे संदेहियो की घेराबंदी कर पकडक़र पूछताछ किया गया पूछताछ मे संदेहियो द्वारा अपना नाम मोहित कुमार शर्मा उफर् मोहित भारद्वाज उम्र 26 वर्ष साकिन रायपारा साईं मंदिर रोड़ सुभाषनगर थाना गांधीनगर तथा माशुक खान उम्र 23 वर्ष साकिन बरडीह मस्जिद के बगल मे थाना लुन्ड्रा हाल मुकाम गोधनपुर थाना गांधीनगर का होना बतया, पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की तलाशी लेने पर झोला मे रखे हुए कुल 115 नग प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन किमती अनुमानित 57000/- रुपये जप्त किया गया, आरोपियों से घटना के सम्बन्ध मे पूछताछ किये जाने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया गया, आरोपियों के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोटरसायकल जप्त किया गया हैं, आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से थाना गांधीनगर मे धारा 22 (सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया गया हैं।

46 मालवाहक वाहनों पर सवारी बैठाने पर कटा 1.10 लाख का चालान

❒ पुलिस ने चलाया जांच अभियान, चालकों को दी समझाइश

कोरबा | आरएनएस

कवर्धा के बाद कोरबा में भी मालवाहक गाडिय़ों के दुर्घटना होने के पश्चात पुलिस ने जांच अभियान शुरू कर दिया है। चैक- चैराहों में सवारी भर कर चल रही मालवाहक गाडिय़ों के विरूद्ध कार्रवाई की। इस दौरान 16 मालवाहक वाहनों का चालन काट कर एक लाख 10 हजार 500 रुपए शुल्क जमा कराया।

तीन दिन पहले कर्वधा में सवारी भर कर जा रही थी मालवाहक दुर्घटना होने 19 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद मालवाहक चालक सबक लेने के बजाए सवारी ढोना जारी रखे है। बुधवार को कोरबा जिले के सतरेंगा मार्ग में गढक़टरा के मालवाहक पिकअप के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि छह लोग घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर मालवाहक वाहनों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर थाना- चैकी के मुख्य मार्ग, चैक चैराहों पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। इसी कड़ी में थाना चैकी एवं यातायात द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का किया जा रहा है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चैहान एवं नेहा वर्मा की अगुवाई जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी थाना- चैकी एवं यातायात के द्वारा मालवाहक गाडिय़ों में व्यक्तियों को बैठाकर परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की गई। दो दिवस के भीतर पुलिस ने 46 मालवाहक गाडिय़ों पर सवारी बैठाने पर चालानी कार्रवाई की और एक लाख 10 हजार 500 रुपए समन शुल्क वसूला। पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा मुख्य चैक चैराहा एवं भीडभाड वाले इलाकों एवं बाजार में जाकर पैट्रोलिंग किया गया गलत तरीके से वाहन चलाने वाले एवं ओवर स्पीड वाहन चलने वाले पर पुलिस ने कार्रवाई की। लगातार हो रहे दुर्घटना में कमी लाने के लिए यह विशेष अभियान को चलाया गया। अभियान के तहत वाहनों को रोककर जांच करने के साथ ही चालकों को समझाइश दी कि ओवर स्पीड वाहन ना चलाएं, ना ही शराब पीकर वाहन चलाएं और ना ही अपने करीबियों को नशे की हालत में वाहन चलाने दे। मालवाहक वाहन में माल के अलावा किसी अन्य चीज का परिवहन ना करें। साथ ही कहा कि यदि पुनरू नियम विरूद्ध वाहन चालन करते मिलते हैं, तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। .

इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में तेंदूपत्ता संग्रहण का काम चल रहा हैं संग्राहकों नकद के बजाए उनके खाते में आनलाइन भुगतान की जा रही है। वनांचल ग्रामीण क्षेत्रों बैकिंग की सुविधा नहीं है। राशि आहरण के लिए ग्रामीणों को शहर की दौड़ लगानी पड़ रही है। यात्री वाहन की तुलना में भार वाहक वाहन से यात्रा सस्ता है। सहूलियत के लिए गांव के लोग मिलकर माल वाहक वाहन को बुकिंग कर रहे हैं। लंबे समय से ग्रामीण सडक़ों में सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी हुइ है। ग्रामीणों का कहना कि फड़ो में कियोस्क बैंक की भी सुविधा दी जानी चाहिए, ताकि जरूरत मंद ग्रामीण अपनी सुविधानुसार नकद राशि का आहरण कर सके।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU